पत्रावली [illegible]
[illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible]
R-9 CPC, पर [illegible] T.S [illegible]
दिनांक 30.11.21 को पेश है।

SDO Reni

17/12/21 आज यह पत्रावली [illegible] के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट [illegible] मंचेड़ में दिनांक 28/12/21 को पेश होने [illegible] पेश हुई। पक्षकार [illegible] कोर्ट/[illegible] [illegible] मंचेड़ [illegible] जारी हो। पत्रावली दिनांक 28/12/21 [illegible] राजस्व लोक अदालत ग्राम [illegible] मंचेड़

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर

28/12/21 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। [illegible] आपसी रजामन्दी से सहमति [illegible] प्रकाश का निस्तारण [illegible] गया। अतः पत्रावली मुख्यालय में ही दिनांक 22/02/022 को पेश हो।

प्रशासन गांव के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर

31/12/21 आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। मूलवाद खारिज हो चुका है। मूलवाद का निस्तारण हो जाने से 212 RT Act का कोई औचित्य नहीं रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फौजदारी कुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। निलान मूलवाद हो।

NOT Prefer
Sd/-
31/12/20
सही दी नहीं